न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी,

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 205/2026

1- अनुष्का पुत्री स्वर्गीय श्री गिर्राज सिंह, उम्र करीबन 19 साल, निवासी रामनगर कॉलोनी, प्रभा मैमोरियल पब्लिक स्कूल के पास, 60 फुट रोड, पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर (राज.)

--प्रार्थीया/परिवादिया

विरूद्ध

1- राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

2- पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री भगवान सिंह, उम्र करीबन 31 साल, निवासी ग्राम इकरन, पुलिस थाना चिकसाना, जिला भरतपुर, हाल निवासी 60 फुट रोड, कृष्णा कॉलोनी, पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर (राज.)

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 287/2025, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर, सैशन प्रकरण संख्या 62/2025 सरकार बनाम पवन कुमार, अपराध अन्तर्गत धारा 64(2)(एफ), 351(3) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः-

1- श्री अशोक कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/परिवादिया की ओर से।

2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

3- श्री बाबूलाल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 18.04.2026

1- प्रार्थी/परिवादिया अनुष्का की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पेश कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 287/2025, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर में पूर्व में अप्रार्थी संख्या 02/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तृतीय जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2025 को स्वीकार किये जाने के आदेश को निरस्त किये जाने व अभियुक्त पवन को गिरफ्तार किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

2- संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया अनुष्का द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, अलवर में एक रिपोर्ट अभियुक्त पवन के विरूद्ध दर्ज

करवाई गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 287/2025, पुलिस थाना कोतवाली, अलवर पर दर्ज कर, अनुसंधान के उपरांत अभियुक्त पवन के विरूद्ध धारा 64(2)(एफ), 351(3) भारतीय न्याय संहिता में आरोप पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से यह प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3- अभियुक्त पवन कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2025 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के उपरांत अभियुक्त पवन कुमार की ओर से प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2025, द्वितीय जमानत आवेदन दिनांक 16.10.2025 को खारिज किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त पवन का तृतीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2025 को स्वीकार कर, अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया गया।

4- प्रार्थीया/परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त पवन द्वारा एक जमानत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 26.08.2025 को खारिज किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज किये जाने का तथ्य अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया। ऐसे में संपूर्ण तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके और उसके आधार पर अभियुक्त को जमानत का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का तथ्य इस न्यायालय को ज्ञात होता, तो अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने के संबंध में पारित आदेश भिन्न होता और उसे जमानत का लाभ प्राप्त नहीं होता। उनका यह भी तर्क है कि गलत तथ्यों के आधार पर जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। अतः अभियुक्त को पूर्व में प्रदान किये गये जमानत के लाभ को निरस्त किया जावें।

5- अभियुक्त/अप्रार्थी संख्या 02 पवन की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर, यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जो जमानत का लाभ दिया गया है, वह पश्चातवर्ती तथ्य रिकॉर्ड पर आने के पश्चात दिया गया है। विचारण के दौरान न्यायालय के द्वारा अभियोक्त्री के मोबाईल की कॉल डिटेल की सी.डी.आर. तलब की गई, जिससे प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ कि बताई गई घटना के समय परिवादिया व अभियुक्त दोनों की लोकेशन अलग-अलग स्थानों पर थी। ऐसे में प्रथमदृष्टया तथ्य न्यायालय के समक्ष आने के बाद ही अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि जमानत का लाभ प्राप्त होने के बाद अभियुक्त की ओर से जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, न ही साक्ष्यों से छेडछाड की गई है और न ही गवाहान को बहकाने की कोशिश की गई है। अतः प्रार्थीया/परिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हम पाते हैं कि अभियुक्त् पवन की ओर से द्वितीय व तृतीय जमानत आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते समय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत करने व माननीय

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का तथ्य, प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उक्त आदेश की प्रति इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई। परिवादिया की ओर से द्वितीय व तृतीय जमानत आवेदन पत्र के निस्तारण के समय व तृतीय जमानत आवेदन की सुनवाई के समय, उनके विद्वान अधिवक्ता मौजूद थे, उन्होंने भी न्यायालय के समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज किये जाने का तथ्य नहीं रखा है, जबकि परिवादिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के समय मौजूद रहे थे, ऐसे में दोनों ही पक्षों की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत आवेदन खारिज किये जाने का तथ्य इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है, परंतु इस प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकट होता है कि विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियोक्त्री के मोबाईल की कॉल डिटेल की सी.डी.आर. न्यायालय में तलब की थी तथा कॉल डिटेल के अवलोकन से अभियुक्त व परिवादिया दोनों की मोबाईल लोकेशन पृथक-पृथक स्थान पर पाये जाने के प्रथमदृष्टया तथ्य के आधार पर अभियुक्त पवन को जमानत का लाभ दिया गया है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज किये जाने का कोई विपरीत प्रभाव, अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय के समक्ष पेश किये गये तृतीय जमानत आवेदन पर होता।

7- हम पाते हैं कि अभियुक्त का जो तृतीय जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, उसको स्वीकार किये जाने का मुख्य कारण पश्चातवर्ती तथ्य रिकॉर्ड पर आने का आधार रहा है, जो पीडिता के मोबाईल की कॉल डिटेल है। हम यह नहीं पाते हैं कि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने के उपरांत उसने जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन किया हो। अतः उक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त पवन को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रदान किये गये इस जमानत के लाभ को निरस्त किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थीया/परिवादिया अनुष्का पुत्री स्वर्गीय श्री गिर्राज सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 18.04.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर